

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त, 2015-श्रावण 30, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT INDORE

(ORIGINAL JURISDICTION)

Company Petition No. 09/2011

In the matter of Section 433 & 434 of the Companies' Act, 1956

AND

In the matter of M/s. Zoom Developers (Pvt.) Ltd.,

Having its Registered office

situated at 12/2, R.N. T. Marg,

Indore, (M.P.)-452 001.

AND

UCO Bank

.....Petitioner

Versus

M/s. Zoom Developers Private Limited,

.....Respondent

NOTICE OF PETITION

Notice is hereby given that a petition for the winding up of the above named company by the High Court of the State of Madhya Pradesh at Indore was on 09/10/2011 presented to the said Court by the said petitioner and that the said petition is directed to be heard before the Court on 28th day of September. 2015 at 10.30 A.M.

Any creditor or contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his

advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Dheeraj Singh Panwar,
Advocate for Petitioner Bank

56/2, Nanda Nagar, Indore-452 011 (M. P.).

(288-B.)

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

मैं, रामलखन शर्मा आत्मज श्री ललनराम, आयु लगभग 56 साल, निवासी म.नं. 156/939, भीमनगर क्र. 3 की झुग्गियां, भोपाल मध्यप्रदेश का हूँ. मेरे द्वारा अपना नाम रामलखन शर्मा से परिवर्तित कर रामलखन पाण्डेय रख लिया गया है. अतः अब मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि रामलखन शर्मा के स्थान पर रामलखन पाण्डेय के नाम से ही समस्त समव्यवहार, सम्पर्क किया जाए.

पुराना नाम :

(रामलखन शर्मा)

नया नाम :

(रामलखन पाण्डेय)

म.नं. 156/939, भीमनगर क्र. 3 की झुग्गियां,
भोपाल मध्यप्रदेश.

(274-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम कुमारी ब्लेसदिना लकड़ा/स्व. श्री गब्रिएल लकड़ा था. अब शादी के पश्चात् श्रीमती ब्लेसदिना एक्का पत्नी श्री ललित किशोर एक्का हो गया है. अतः भविष्य में मुझे नये नाम से जाना-पहचाना, पुकारा, लिखा जावे.

पुराना नाम :

(ब्लेसदिना लकड़ा)

नया नाम :

(ब्लेसदिना एक्का)

पत्नी-ललित किशोर एक्का
5-बी, ग्रीन पार्क कॉलोनी, मनोहर इनकलेब,
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.).

(275-बी.)

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम "शुभदा" था जो शादी उपरांत "प्रेरणा" हो गया है.

पुराना नाम :

(शुभदा)

पुत्री-शंकर राव गद्रे

(277-बी.)

नया नाम :

(प्रेरणा)

पति-श्री देवेन्द्र मोडक
41, इन्द्रलोक कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती लक्ष्मी बाथम पत्नि श्री राजेन्द्र बाथम, निवासी-आई-20/8, नॉर्थ टी. टी. नगर, भोपाल के द्वारा अपना उपनाम परिवर्तित करते हुये अपना नाम लक्ष्मी राय पुत्री स्व. श्री धनवीर राय कर रही हूँ. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :

(लक्ष्मी बाथम)

पत्नि-श्री राजेन्द्र बाथम.

(278-बी.)

नया नाम :

(लक्ष्मी राय)

पुत्री-स्व. श्री धनवीर राय.

उप-नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रामावतार शर्मा पिता श्री त्रिवेणी प्रसाद है। मध्यप्रदेश पॉ. जनरेटिंग कम्पनी लिमि. चचाई, जिला-अनूपपुर से दिनांक 28 फरवरी, 2015 को सेवानिवृत्त पश्चात् मुझे मेरी सेवा पुस्तिका में मेरे सरनेम "शर्मा" के साथ त्रुटिवश "पाण्डेय" दर्ज हो जाने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है जबकि मेरा सही सरनेम "शर्मा" ही है। मेरे नियुक्ति आदेश, मेरे शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम रामावतार शर्मा ही दर्ज है और पूरे कार्यकाल में मैं, रामावतार शर्मा नाम से ही अपना प्रत्येक माह का वेतन प्राप्त करता रहा हूँ तथा मुझे मेरा सेवानिवृत्त आदेश भी रामावतार शर्मा के नाम से ही प्राप्त हुआ है और वही सही है। मेरी सेवा पुस्तिका में नामिनी मेरी पत्नी प्रेमा देवी है और वही मेरी प्रथम पत्नी है।

पुराना नाम :

(रामावतार पाण्डेय)

(276-बी.)

नया नाम :

(रामावतार शर्मा)

पिता-श्री त्रिवेणी प्रसाद शर्मा,

निवासी व थाना-चचाई,

तहसील व जिला-अनूपपुर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रेमलाल चर्मकार आत्मज श्री भगाली चर्मकार, निवासी-ग्राम क्योटार, पो. लहरपुर, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) में निवास करता हूँ मैं वर्तमान में प्रेमलाल चर्मकार के नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूँ और मेरे समस्त पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों तथा मेरे पुत्र धनपत चर्मकार एवं पुत्री सवित्री चर्मकार के समस्त शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम प्रेमलाल चर्मकार अंकित है। मैं व्यक्तिगत कारणों से अपना उप-नाम परिवर्तन कर रहा हूँ, जिसके सम्बन्ध में समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर ली है। परिणाम स्वरूप प्रकाशन दिनांक से अब मेरा नाम प्रेमलाल चौधरी हो गया है। इसके पश्चात् भविष्य में मुझे प्रेमलाल चौधरी के नाम से जाना एवं पहचाना जाएगा एवं मेरे पहचान सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों एवं मेरे पुत्र-पुत्री के अंकसूची एवं प्रमाण पत्रों में मेरा नाम प्रेमलाल चौधरी अंकित किया जाए।

पुराना नाम :

(प्रेमलाल चर्मकार)

(PREMLAL CHARMKAR)

आत्मज-श्री भगाली चर्मकार

(279-बी.)

नया नाम :

(प्रेमलाल चौधरी)

(PREMLAL CHOUDHARY)

आत्मज-श्री भगाली चर्मकार,

ग्राम-क्योटार, पो. लहरपुर, तहसील जैतहरी,

जिला अनूपपुर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स विजय लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, स्थित ए. बी. रोड, गुना (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक ARG/Firm/81, दिनांक 14-02-2005 में पंजीकृत है। जिसमें दिनांक 01-04-2006 को—(1) श्रीमती नीतू तिवारी पत्नि श्री संजय तिवारी, निवासी सुभाष कॉलोनी गुना, (2) श्री हरीबावू तिवारी पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी, निवासी सुभाष कॉलोनी गुना, (3) श्रीमती कमला तिवारी, पत्नि श्री हरीबावू तिवारी, निवासी सुभाष कॉलोनी गुना, (4) श्री अनुराग शर्मा पुत्र श्री कृष्ण मुरारी, निवासी भार्गव कॉलोनी गुना फर्म में सम्मिलित हो गये हैं।

दिनांक 01-04-2009 से—(1) श्री दामोदर दास सराफ पुत्र श्री बल्लभ दास सराफ, निवासी राज पैलेस इन्दौर, (2) श्रीमती नीता त्रिपाठी पुत्री श्री रमेश चन्द शर्मा, निवासी सुभाष कॉलोनी गुना, (3) श्री हरीबावू तिवारी पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी, निवासी सुभाष कॉलोनी गुना, (4) श्रीमती विजय लक्ष्मी त्रिपाठी पुत्री श्री बल्लभ दास पाराशर, निवासी पाराशर टेन्ट हाउस बोहरा, डिस्ट्रिक्ट राधौगढ़, जिला गुना, (5) अभिषेक त्रिपाठी पुत्र श्री प्रद्धमन कुमार त्रिपाठी, निवासी मधुसूदनगढ़, जिला गुना, (6) ओम पाराशर पुत्र श्री बल्लभ दास पाराशर, निवासी पाराशर टेन्ट हाऊस, बोहरा डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं तथा इसी दिनांक 01-04-2009 से श्री अमित शर्मा पुत्र श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, निवासी भार्गव कॉलोनी गुना फर्म में सम्मिलित हो गये हैं।

दिनांक 08-08-2015 (1) श्री अनुराग शर्मा पुत्र श्री कृष्ण मुरारी, निवासी भार्गव कॉलोनी गुना, (2) श्री अमित शर्मा पुत्र श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, निवासी भार्गव कॉलोनी गुना अपनी-अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

फर्म—विजय लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन

संजय तिवारी,

(भागीदार)

ए. बी. रोड, गुना (म. प्र.).

द्वारा—अमित सौगानी (एडवोकेट),

नयापुरा, गुना (म.प्र.).

(286-बी.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. कलश मिनरल्स, म. नं. 246/3, शिवाजी वार्ड, नं. 27, बेनीगंज मार्ग, रानी की बगिया, छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) के अभी चार पार्टनर हैं। जिसमें— 1. वृजबिहारी लाल अग्रवाल तनय स्व. श्री रामदास अग्रवाल, निवासी-शुक्लाना मार्ग, छतरपुर, जिला-छतरपुर (म.प्र.), 2. हरी शंकर अग्रवाल तनय स्व. श्री रामदास अग्रवाल, निवासी-ग्राम खैरों, तहसील-बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.), 3. शैलेश अग्रवाल तनय श्री हर गोविन्द अग्रवाल, निवासी-म.नं. 31, शुक्लाना मुहल्ला, जैन मंदिर के पीछे, वार्ड नं. 21, तहसील-छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) एवं 4. हेमन्त अग्रवाल तनय श्री छनू लाल अग्रवाल, निवासी-म. नं. 246/3, शिवाजी, वार्ड नं. 27, बेनीगंज मार्ग, रानी की बगिया, छतरपुर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) के नाम शामिल हैं। लेकिन अब इस फर्म मे. कलश मिनरल्स की पार्टनरशिप से स्वेच्छा से—1. वृजबिहारी लाल अग्रवाल तनय स्व. श्री रामदास अग्रवाल, निवासी-शुक्लाना मार्ग, छतरपुर, जिला-छतरपुर (म.प्र.), 2. हरी शंकर अग्रवाल तनय स्व. श्री रामदास अग्रवाल, निवासी-ग्राम खैरों, तहसील-बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.), 3. शैलेश अग्रवाल तनय श्री हर गोविन्द अग्रवाल, निवासी-म.नं. 31, शुक्लाना मुहल्ला, जैन मंदिर के पीछे, वार्ड नं. 21, तहसील-छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) अलग हो रहे हैं। अतः आज दिनांक 27-06-2015 तक किसी व्यक्ति या फर्म का श्री वृजबिहारी लाल अग्रवाल, हरी शंकर अग्रवाल एवं श्री शैलेश अग्रवाल द्वारा फर्म मे. कलश मिनरल्स, छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) के नाम से कोई लेन-देन बाकी हो तो 15 दिवस तक अपना दावा प्रस्तुत करें। इसके बाद किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जाएगा।

द्वारा

मे.—कलश मिनरल्स

हेमन्त अग्रवाल,

म. नं. 246/3, शिवाजी वार्ड नं. 27, बेनीगंज मार्ग,
रानी की बगिया, छतरपुर, जिला-छतरपुर (म.प्र.).

(287-बी.)

PUBLIC NOTICE

The Public Notice is given that from Partnership Firm name M/s. Sagar Enterprises Fruit Mandi Jawaharganj, Jabalpur-482002 a new Partner Smt. Hemlata Ghanghoria W/o Shri Virendra Ghanghoria has been admitted in the Partnership as a Partner From 01-04-2013 and now in the Partnership firm there are three partners namely, 1. Shri Rajesh Kesharwani S/o Late Shri Govind Prasad Kesharwani, 2. Shri Virendra Ghanghoria S/o Late Shri Ganesh Prasad Ghanghoria, 3. Smt. Hemlata Ghanghoria W/o Shri Virendra Ghanghoria. The Registration No. of Partnership Firm is 128/2003-04. Dated 19-03-2004.

That from 10-04-2013 there is a amendment in the Partnership Firm and Shri Rajesh Kesharwani S/o Late Shri Govind Prasad Kesharwani has resigned from 10-04-2013 from firm namely M/s. Sagar Enterprises and now there are two Partners in the firm namely Shri Virendra Ghanghoria and Smt. Hemlata Ghanghoria.

M/s. Sagar Enterprises

VIRENDRA GHANGHORIA,

(Partner).

(285-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र.क्र. 05/बी-113/2014-15.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि "पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट मध्यप्रदेश विपश्यना समिति" ई-1/82, अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : "पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट मध्यप्रदेश विपश्यना समिति"
ई-1/82, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति : निरंक.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 05 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

माया अवस्थी,
अनुविभागीय अधिकारी.

(440)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मुलताई, जिला बैतूल

रा.प्र.क्र./03/बी/113(1)2014-15.

मुलताई, दिनांक 05 अगस्त, 2015

प्रारूप-पांच

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) तथा
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 का उपनियम (1)]

लोक न्यास के पंजीयक, तहसील मुलताई, जिला बैतूल मध्यप्रदेश के समक्ष.

क्योंकि—मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) अभिप्राय के लिये लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास, पंजीयक, मुलताई, जिला बैतूल के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 05 अगस्त, 2015 (30 दिन) को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाला अन्य कोई व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखता हो, को सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपर्युक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अधिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपर्युक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

(लोक न्यास का नाम और पता, चल-अचल सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : गायत्री परिवार ट्रस्ट, मुलताई, जिला बैतूल.
2. चल सम्पत्ति : 2,66,000.00.
3. अचल सम्पत्ति : मुलताई में 2 भूखण्ड, तीन मंजिला निर्मित भवन की अनुमानित लागत 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये).

पंकज जैन,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(443)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

शा. शिक्षक साख सहकारी समिति मर्या., झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 426, दिनांक 16 जून, 1970 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151-6, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयवाधि दी गई थी. निर्धारित समयवाधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत शा. शिक्षक साख सहकारी समिति मर्या., झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 426, दिनांक 16 जून, 1970 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. रावल, S.A. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 21 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है।

(427)

बबलू सातनकर,
उप-आयुक्त सहकारिता एवं
उप-पंजीयक.

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

मण्डला, दिनांक 26 जून, 2015

प्रकाश बुनकर सहकारी समिति मर्या., डोभी, पंजीयन क्रमांक 421, दिनांक 16 अप्रैल, 1987, विकासखण्ड बीजाडांडी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परिसमापन/2001/1355/27 नवम्बर, 2001 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. डी. कोरी, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया। प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है।

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पंद्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रकाश बुनकर सहकारी समिति मर्या., डोभी, पंजीयन क्रमांक 421, दिनांक 16 अप्रैल, 1987, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परिसमापन/2001/1355/27 नवम्बर, 2001 को निरस्त करता हूँ एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(428)

के. सी. अग्रवाल,
सहायक रजिस्ट्रार.

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मलगांव

दिनांक 13 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1960 की धारा-57 (ग)-के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू/1.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगौन के उल्लेख आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मलगांव	1325/23-08-2002	1334/07-10-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढकलगांव	1333/31-03-2003	- " -
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोगरगांव	1343/28-06-2003	1342/07-10-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., थरवर	1338/28-06-2003	1345/07-10-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुण्डला	1345/28-06-2003	1350/07-10-2013
6.	व्यापारी एवं साख सहकारी समिति मर्या., खरगौन	1716/10-03-2014	1391/06-11-2009
7.	माँ गायत्री म. साख सहकारी समिति मर्यादित, खरगौन	1774/10-03-2014	—

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वाञ्छित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

सूचना आज दिनांक 13 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

के. के. वास्करले,

वरि. सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(430)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 17 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1472.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यावाही हेतु परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	राम-रहीम साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	3022/26-02-2009	337/07-03-2015
2.	रमा शंकर साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2925/05-04-2007	337/07-03-2015
3.	माँ बिजासन साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2925/05-04-2007	337/07-03-2015
4.	रिया साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2922/01-03-2007	337/07-03-2015
5.	पूजा साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2921/01-03-2007	337/07-03-2015
6.	नेहा साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2980/01-03-2007	337/07-03-2015
7.	स्वामी विवेकानंद साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	3023/26-02-2009	337/07-03-2015

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड या दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) का उपयोग में लाते हुए मैं, जयश्री राठौर, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि यदि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावे प्रस्तुत करना हो, तो इस सूचना जारी होने के 2 माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, निर्धारित अवधि के बाद दावों (क्लेमों) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी रहेगा, संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो, तो यह 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें। अन्यथा ऐसा व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

जयश्री राठौर,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(429)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1508.—परिसमापन समिति अनादि महिला साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2945, दिनांक 26 सितम्बर, 2007 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर जयश्री राठौर, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा दिनांक 16 जून, 2015 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुनर्जीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत्/ठहराव पारित किया गया उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया. परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु अनुशंसा की गई है, साथ ही नामांकित संचालक मंडल के नाम प्रस्तावित किये हैं. मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बनाये रखना उचित है. तदनुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनादि महिला साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2945, दिनांक 26 सितम्बर, 2007 को परिसमापन में लाने के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 को समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ. संस्था से कार्य संचालन हेतु नामांकित मंडल का अनुमोदन किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	पद
1.	श्रीमती मंजु अग्रवाल	अध्यक्ष
2.	श्री आशा प्रसाद	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती सुनीता अग्रवाल	संचालक
4.	श्रीमती सरोज अग्रवाल	संचालक
5.	श्रीमती सावित्री रात्रे	संचालक
6.	श्रीमती संगीता चौहान	संचालक
7.	श्रीमती शहनाज खान	संचालक
8.	श्रीमती माया सोनी	संचालक
9.	श्रीमती बिन्दू गौर	संचालक
10.	श्रीमती कविता जाऊ	संचालक
11.	माया मांझी	

यह आदेश आज दिनांक 01 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.

(431)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

रीवा, दिनांक 24 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 का नियम-57 (1)(सी) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत अधोलिखित सहकारी संस्थाओं द्वारा उसके पंजीयन दिनांक से कार्य नहीं करने, कार्य बंद कर दिये जाने, संस्था का अंकेक्षण कार्य नहीं कराने तथा संस्था मुख्यतः व्यक्ति या व्यक्तियों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने के आधार पर परिसमापन में लाया जाकर मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1)(सी) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सदस्यों या उनके वैध प्रतिनिधियों, समस्त लेनदारों व देनदारों को सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के भीतर अपनी संस्था की लेनदारी/देनदारी से सम्बन्धित दावा/आपत्ति मुझे प्रमाण सहित प्रस्तुत करें. अन्यथा वे संस्था के किसी भी प्रकार के भुगतान/अधीकार/लेनदारी आदि के दावों से वंचित रहेंगे. नियत समयबाधित तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने की दशा में समयबाधित दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं होंगे:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाढ़ा.	1216/28-10-2014	2276/08-12-2014	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
2.	बघेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लालगांव.	1186/28-10-2014	2272/08-12-2014	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.

1	2	3	4	5
3.	संकट मोचन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराह.	1206/28-10-2014	2270/08-12-2014	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
4.	हरिओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भट्वा.	1180/28-10-2014	2301/08-12-2014	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
5.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिलखन	1208/28-10-2014	2287/08-12-2014	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
6.	शिव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बगढ़ा पिढियान.	1157/28-10-2014	2283/08-12-2014	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
7.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरिया	1198/28-10-2014	2142/21-11-2014	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
8.	भाग्योदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गहरी.	1142/28-10-2014	2142/21-11-2014	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
9.	हनुमना बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरी.	1156/28-10-2014	2158/21-11-2014	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
10.	जय बजरंग साग-भाजी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भमरा.	1232/17-11-2014	222/11-02-2015	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
11.	सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरेतीखुर्द.	1261/17-11-2014	228/11-02-2015	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
12.	साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भडूरा.	1247/17-11-2014	217/11-02-2015	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
13.	साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लूक.	1248/17-11-2014	246/11-02-2015	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
14.	साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खड्डा.	1255/17-11-2014	214/11-02-2015	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
15.	देवेन्द्र साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोनीकला.	1257/17-11-2014	210/11-02-2015	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
16.	तथागत साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भिटौहां.	1258/17-11-2014	247/11-02-2015	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
17.	किसान साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., माड़ी.	1228/17-11-2014	240/11-02-2015	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
18.	किसान साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बीड़ा.	1229/17-11-2014	238/11-02-2015	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
19.	साग-सब्जी, उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरिया.	1250/17-11-2014	209/11-02-2015	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
20.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेल्वा सुरसरी.	920/20-07-2009	2085/14-11-2014	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
21.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लैन (सेमरिया).	1081/30-08-2011	2083/14-11-2014	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
22.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., राजगढ़	588/15-03-1972	1894/28-10-2013	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.

1	2	3	4	5
23.	शिवाजी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़गांव.	764/17-09-1997	1894/28-10-2013	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
24.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तोमरानपुरवा (जवा).	931/23-11-2009	1894/28-10-2013	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
25.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कल्याणपुर	—	1894/28-10-2013	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
26.	हरिजन चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., कल्याणपुर	—	1894/28-10-2013	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
27.	लक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति मर्या., मऊ	112/28-02-1998	1894/28-10-2013	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
28.	त्रिमूर्ति महिला हाथकरघा सहकारी समिति.मर्या., तिलखन.	—	1894/28-10-2013	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.
29.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सिरमौर	—	1894/28-10-2013	अनिल कु. गुप्ता, स. नि.

अनिल कुमार गुप्ता,
परिसमापक.

(434)

कार्यालय परिसमापक, नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन

दिनांक 30 जुलाई, 2015

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/ K. R. G. N. /1330, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 है को उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1317, खरगौन, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता निरीक्षक, खरगौन एवं परिसमापक नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय-प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(435)

कार्यालय परिसमापक, प्रियदर्शिनी साख सहकारिता मर्या., बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन

दिनांक 30 जुलाई, 2015

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

प्रियदर्शिनी साख सहकारिता मर्या., बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन पंजीयन क्रमांक/ K. R. G. N./1732, दिनांक 10 मार्च, 2014 है को उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1327, खरगौन, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बड़वाह एवं परिसमापक प्रियदर्शिनी साख सहकारिता मर्या., बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित

करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय-प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

मनोहर वास्कले,

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(435-A)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 01 अगस्त, 2015

क्र./परि./क्यु./2015.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्र./परि./2014/245 खरगोन, दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी स. मर्या., सिरलाय
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी स. मर्या., रूपाला
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी स. मर्या., बलवाडा
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी स. मर्या., सेल्दा (बड़वाह)
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी स. मर्या., उमरिया
6.	जनजाति वनश्रमिक सहकारी स. मर्या., कोदबार

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बड़वाह एवं परिसमापक उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण आदि के मुझे लिखित में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं होगा. संस्था के लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये हैं. समझे जावेंगे.

मनोहर वास्कले,

सहकारिता विस्तार अधिकारी

एवं परिसमापक.

(436)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला शहडोल

शहडोल, दिनांक 28 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

जिले में स्थित आकाश ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., शहडोल, पंजीयन क्रमांक 1024, दिनांक 24 फरवरी, 2003 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत आकाश ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., शहडोल, पंजीयन क्रमांक 1024, दिनांक 24 फरवरी, 2003 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(437)

शहडोल, दिनांक 28 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

जिला में स्थित प्राची ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., शहडोल पंजीयन क्रमांक 1027, दिनांक 12 मार्च, 2003 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत प्राची ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., शहडोल पंजीयन क्रमांक 1027, दिनांक 12 मार्च, 2003 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

बी. एस. परते,
उप-आयुक्त.

(437-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच

दिनांक 27 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/263.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 402, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 के द्वारा लक्ष्मी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., टोलपुरा, तहसील जीरन, जिला नीमच जिसका पंजीयन 98, दिनांक 10 अगस्त, 2007 है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा-70 के अंतर्गत श्री के. सी. चौहान, A.O को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. एस. सोलंकी, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

के. एस. सोलंकी,
सहायक रजिस्ट्रार.

(438)

कार्यालय डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,
द्वारा-श्रीमती सरोज यादव,
पहाडसिंह सहकारी मुद्रणालय, छतरपुर

क्र./परि./2015/1135.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि पहाडसिंह सहकारी मुद्रणालय, छतरपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) जिसका पंजीयन क्रमांक 1160, दिनांक 25 जून, 2008 है. कार्यालय के संज्ञान में यह आया कि उक्त संस्था का कोई

कार्यालय स्थापित नहीं है न ही पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ किया गया। इसलिये इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2014/3271, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा संस्था की नामांकित अध्यक्ष श्रीमति सरोज यादव को पत्र जारी कर संस्था के अभिलेख साहित कार्यालय में दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को आहूत किया गया था। लेकिन संस्था की ओर से आज दिनांक तक कोई भी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है।
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है।
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है।
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है।
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है।
6. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया।

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें। अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(439)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 06 अगस्त, 2015

क्र./परि./2015/1355.—जिले में पदस्थ कर्मचारियों के स्थानान्तरित/सेवानिवृत्त होने के कारण कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर स्थानान्तरित/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परिसमापक पद के दायित्व से मुक्त करते हुये उनके स्थान पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित कर्मचारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूँ :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	पूर्व परिसमापक	वर्तमान परिसमापक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	53/20-04-1973	1615/25-08-2009	श्री राजीव रूपोलिया, सहकारी निरीक्षक.	श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक.
2.	रामचंद गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं मर्या., ग्वालियर.	366/12-12-2003	2453/24-11-2012	श्री राजीव रूपोलिया, सहकारी निरीक्षक.	श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक.
3.	हरिओम गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं मर्या., ग्वालियर.	358/27-09-2003	719/23-05-2013	श्री राजीव रूपोलिया, सहकारी निरीक्षक.	श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक.
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरसोद.	499/31-03-1989	1803/06-07-2006	श्री राजीव रूपोलिया, सहकारी निरीक्षक.	श्री सतीश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक.
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जखोदा.	802/31-03-1989	1804/06-07-2006	श्री राजीव रूपोलिया, सहकारी निरीक्षक.	श्री सतीश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक.
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैहट.	494/31-03-1989	1807/06-07-2006	श्री राजीव रूपोलिया, सहकारी निरीक्षक.	श्री सतीश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतवई.	542/31-03-1990	1805/06-07-2006	श्री राजीव रूपोलिया, सहकारी निरीक्षक.	श्री सतीश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक.
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जंगीपुरा, डबरा.	546/31-03-1990	1806/06-07-2006	श्री राजीव रूपोलिया, सहकारी निरीक्षक.	श्री सतीश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक.
9.	जयगंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	379/16-07-2004	2465/24-11-2012	श्री एस. आर. शर्मा, सहकारी निरीक्षक.	श्री वाई. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक.
10.	कमलाराजा गर्ल्स प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.	836/22-05-1996	2802/22-10-1996	श्री के. एस. तोमर, वरि. सहकारी निरीक्षक.	श्री वाई. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक.
11.	भवन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	221/10-08-1972	1864/21-11-2013	श्री ओ. पी. रहेजा, सहकारी निरीक्षक.	श्री वाई. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक.
12.	रक्षा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	135/23-06-1987	720/23-05-2013	श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक.	श्री राजीव कोशिक, वरि.सहकारी निरीक्षक.
13.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाएं मर्या., कुलैथ.	884/24-02-1999	560/27-02-2002	श्री ओ. पी. रहेजा, सहकारी निरीक्षक.	श्री आलोक साहु, उप-अंकेक्षक.
14.	ग्वालियर गोड खनीज सहकारी संस्था मर्या., शंकरपुर.	439/24-04-1985	1419/23-05-2006	श्री ओ. पी. रहेजा, सहकारी निरीक्षक.	श्री आलोक साहु, उप-अंकेक्षक.
15.	जय बालाजी खनीज सहकारी संस्था मर्या., गंगामालनपुर.	687/31-05-1994	1410/23-05-2006	श्री ओ. पी. रहेजा, सहकारी निरीक्षक.	श्री आलोक साहु, उप-अंकेक्षक.
16.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पनिहार.	544/16-04-1990	2795/15-11-2002	श्री ओ. पी. रहेजा, सहकारी निरीक्षक.	श्री आलोक साहु, उप-अंकेक्षक.
17.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था विल्हेटी.	492/31-03-1989	2737/15-11-2002	श्री ओ. पी. रहेजा, सहकारी निरीक्षक.	श्री आलोक साहु, उप-अंकेक्षक.
18.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था विजोली.	497/31-03-1989	419/15-02-2005	श्री ओ. पी. रहेजा, सहकारी निरीक्षक.	श्री आलोक साहु, उप-अंकेक्षक.
19.	सिंधु कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	437/04-06-1985	1541/13-08-2009	श्री जी. डी. जेस्वानी, उप-अंकेक्षक.	श्री भगवत शरण चौवे, उप-अंकेक्षक.
20.	कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	893/16-10-1999	2461/24-11-2012	श्री जी. डी. जेस्वानी, उप-अंकेक्षक.	श्री भगवत शरण चौवे, उप-अंकेक्षक.
21.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हस्तनापुर.	529/08-02-1990	1789/06-07-2006	श्री जी. डी. जेस्वानी, उप-अंकेक्षक.	श्री भगवत शरण चौवे, उप-अंकेक्षक.
22.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उर्वा.	541/31-03-1990	1790/06-07-2006	श्री जी. डी. जेस्वानी, उप-अंकेक्षक.	श्री भगवत शरण चौवे, उप-अंकेक्षक.
23.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनेली.	523/08-02-1990	1792/06-07-2006	श्री जी. डी. जेस्वानी, उप-अंकेक्षक.	श्री भगवत शरण चौवे, उप-अंकेक्षक.
24.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुलैथ.	524/08-02-1990	1795/06-07-2006	श्री जी. डी. जेस्वानी, उप-अंकेक्षक.	श्री भगवत शरण चौवे, उप-अंकेक्षक.
25.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शुक्लहारी.	646/31-03-1991	1796/06-07-2006	श्री जी. डी. जेस्वानी, उप-अंकेक्षक.	श्री भगवत शरण चौवे, उप-अंकेक्षक.
26.	सीमा सुरक्षा पुर्नवास साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	887/05-04-1999	2457/24-11-2012	श्री अनिल माथुर, सहकारी निरीक्षक.	श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
27.	उन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., पिछौर	142/12-12-1954	2358/28-08-2004	श्री अनिल माथुर, सहकारी निरीक्षक.	श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक.
28.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सूखा पटा.	539/31-03-1990	1801/06-07-2006	श्री अनिल माथुर, सहकारी निरीक्षक.	श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक.
29.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गिर्जोरा.	535/31-03-1990	1802/06-07-2006	श्री अनिल माथुर, सहकारी निरीक्षक.	श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक.
30.	वेभव लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	853/12-09-1996	2368/08-09-2005	श्री वी. एल. एस. सेमिल उप-अंकेक्षक.	श्री अजय आहुजा, सहकारी निरीक्षक.
31.	पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	88/09-03-1981	510/20-02-1998	श्री के. आर. शर्मा, वरि.सहकारी निरीक्षक.	श्री अजय आहुजा, सहकारी निरीक्षक.
32.	श्री लक्ष्मी सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	152/12-09-1989	1151/12-05-1998	श्री के. आर. शर्मा, वरि.सहकारी निरीक्षक.	श्री अजय आहुजा, सहकारी निरीक्षक.
33.	टेलीफोन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	78/12-09-1979	3882/10-11-2002	श्री के. आर. शर्मा, वरि.सहकारी निरीक्षक.	श्री अजय आहुजा, सहकारी निरीक्षक.
34.	शिवरामपुरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	193/10-08-1992	2065/11-09-2002	श्री के. आर. शर्मा, वरि.सहकारी निरीक्षक.	श्री अजय आहुजा, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(442)

संजय दलैला,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,
सहकार नगर निगम उपभोक्ता सहकारी
भण्डार मर्या., जल विहार, फूल बाग, ग्वालियर.

सहकार नगर निगम उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./694, दिनांक 16 जून, 2014 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी

कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,

अंकुर प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या.,

बालकृष्ण कॉम्प्लेक्स जनकगंज, ग्वालियर.

अंकुर प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./986, दिनांक..... है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,

हरिजन आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्या.,

पाटई, घाटीगांव, ग्वालियर.

हरिजन आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./209, दिनांक 03 अप्रैल, 1958 है. सहायक

पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,
गिर्राज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
सुल्तान पुर, डबरा, जिला ग्वालियर.

गिर्राज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./313, दिनांक 03 अक्टूबर, 2002 है. सहायक-पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित

समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(442-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,

नामधारी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

बडकी सराय, जिला ग्वालियर.

नामधारी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./413, दिनांक 16 अगस्त, 2011 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई।
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है।
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है।
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(442-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,

जय माँ वैष्णो बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

चिनौर रोड डबरा, जिला ग्वालियर.

जय माँ वैष्णो बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./417, दिनांक 30 मार्च, 2012 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।

2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,
त्रिमुर्ति ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
साराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

त्रिमुर्ति ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1991 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,
महिमा ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
संजय कॉम्प्लेक्स, जयेंद्रगंज, ग्वालियर.

महिमा ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./234, दिनांक 02 नवम्बर, 1995 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,
कैदारनाथ ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ललीतपुर कॉलोनी, लशकर, ग्वालियर.

कैदारनाथ ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./195, दिनांक 18 अगस्त, 1992 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.

4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,

रविन्द्रनाथ टेगौर ग्रह निर्माण सहकारी संस्था

मर्या., विजय कोटी तारागंज, लशकर, ग्वालियर.

रविन्द्रनाथ टेगौर ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./01, दिनांक 19 अगस्त, 1959 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,
दीप्ति ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
विजय नगर आमखो, लश्कर, ग्वालियर.

दीप्ति ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./264, दिनांक 01 अक्टूबर, 1997 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-K).

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,
माँ शेरा वाली ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
शिव भवन कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर.

माँ शेरा वाली ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./223, दिनांक 19 जनवरी, 1995 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.

4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है।
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

*यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,

अविज्ञप्ती शा. कर्मचारी ग्रह निर्माण सहकारी

संस्था मर्या., जवाहर कॉलोनी, लशकर, ग्वालियर.

अविज्ञप्ती शा. कर्मचारी ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./107, दिनांक 02 अप्रैल, 1954 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई।
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है।
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है।
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-M)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,
गर्वेमेंट सर्वेन्ट कर्मचारी ग्रह निर्माण सहकारी
संस्था मर्या., 30, शांती नगर, ग्वालियर.

गर्वेमेंट सर्वेन्ट कर्मचारी ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./37, दिनांक 22 फरवरी, 1966 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई।
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है।
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है।
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(442-N)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,
शिक्षक कांग्रेस ग्रह निर्माण सहकारी संस्था
मर्या., हुजरात लशकर, ग्वालियर.

शिक्षक कांग्रेस ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./130, दिनांक 10 दिसम्बर, 1986 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई।
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है।

4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है।
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(442-O)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,

गोमटेश्वर ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

अनुपम नगर, ग्वालियर.

गोमटेश्वर ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./179, दिनांक 28 फरवरी, 1991 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई।
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है।
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है।
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(442-P)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,
मधुवन ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
सी-22, गांधी नगर, ग्वालियर.

मधुवन ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./133, दिनांक 27 मार्च, 1987 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-Q)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,
दि ग्वालियर निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
शब्द प्रताप आश्रम, ग्वालियर.

दि ग्वालियर निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./29, दिनांक 10 मार्च, 1963 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.

4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-R)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,

महाराजा अजमीण ग्रह निर्माण सहकारी संस्था

मर्या., साराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

महाराजा अजमीण ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./183, दिनांक 20 नवम्बर, 1991 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-S)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,

तिलक नगर ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

विवेक नगर, ग्वालियर.

तिलक नगर ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./28, दिनांक 10 अप्रैल, 1963 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(442-T)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,

ईवा ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

गांधी नगर, ग्वालियर.

ईवा ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./198, दिनांक 28 अक्टूबर, 1992 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.

4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है।
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(442-U)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,
गालव ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
42-मानिक विलास झांसी रोड, ग्वालियर.

गालव ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./146, दिनांक 01 अप्रैल, 1989 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई।
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है।
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है।
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(442-V)

संजय दलैला,
उप-पंजीयक.

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

मण्डला, दिनांक 24 जुलाई, 2015

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मलारीचक, पंजी. क्रमांक 1008, दिनांक 01 मार्च, 2014 विकासखण्ड मण्डला को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2512, मण्डला, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 24 जुलाई, 2015 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 14 जुलाई, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(444)

मण्डला, दिनांक 24 जुलाई, 2015

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नरेन्द्रगढ़, पंजी. क्रमांक 995, दिनांक 01 मार्च, 2014 विकासखण्ड मण्डला को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2499, मण्डला, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 24 जुलाई, 2015 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 14 जुलाई, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(444-A)

मण्डला, दिनांक 24 जुलाई, 2015

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सुभरिया, पंजी. क्रमांक 1014, दिनांक 1 मार्च, 2014 विकासखण्ड मण्डला को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2518, मण्डला, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 24 जुलाई, 2015 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 14 जुलाई, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(444-B)

के. सी. अग्रवाल,
सहायक रजिस्ट्रार.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त, 2015-श्रावण 30, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 अप्रैल, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील निवाड़ी (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार (छतरपुर), शाहगढ़, सागर, रेहली (सागर), मैहर (सतना), सिहावल, मझोली, कुसमी (सीधी), बासोदा, ग्यारसपुर (विदिशा), रायसेन, बेगमगंज, बरेली (रायसेन), बैतूल, आमला (बैतूल), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझोली, कुण्डम (जबलपुर), बिछिया, नारायणगंज (मण्डला), जुन्नारदेव, परासिया, तामिया, चौरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील दतिया (दतिया) नौगांव, राजनगर, बिजावर, बक्स्वाहा (छतरपुर), सिलवानी, बाड़ी (रायसेन), छिन्दवाड़ा, बिछुआ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील छतरपुर (छतरपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील बड़ामलहरा (छतरपुर), मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.— जिला झाबुआ व सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला जबलपुर में फसल गेहूँ व पन्ना, उमरिया, खरगौन, सीहोरा, बैतूल व डिण्डौरी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, उमरिया, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 22 अप्रैल, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. श्योपुर	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तुअर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	..		मूँगफली अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	..		(2) ..		
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	26.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) उड़द, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	14.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्लदेवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	12.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	16.0		(2) ..		
3. नौगांव	33.0				
4. छतरपुर	36.8				
5. राजनगर	22.6				
6. बिजावर	22.0				
7. बड़ामलहरा	86.4				
8. बक्खाहा	26.4				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मुँग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	0.4				
5. रेहली	5.0				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	5.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगावां	..		सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बधेलान	..		(2) ..		
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	10.0				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ अधिक. मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		(2) ..		
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) धान, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		अलसी, तुअर, कोदों-कुटकी, मसूर	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	..		मटर समान.		
4. जैतपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. बांधवगढ़	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		अलसी, जौ अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	8.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	4.0				
4. कुसमी	6.0				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
*जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धडका	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		चना, मसूर, मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..		(2) ..		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) गोहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गोहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		धान, तुअर, गोहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ...	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपालनगर	..				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	13.2				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	3.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	2.6		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर अधिक. चना, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	15.0				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	5.0				
6. सिलवानी	19.0				
7. बाड़ी	25.0				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	2.0				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	7.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) चना, मटर अधिक. मसूर मूंग अधिक. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
*जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	2.0		4. (1) गेहूँ, अधिक. चना, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	3.2		(2) ..		
3. जबलपुर	0.2				
4. मझौली	4.0				
5. कुण्डम	4.0				
*जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	4.0				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	5.6				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	30.6				
2. जुन्नारदेव	10.4				
3. परासिया	1.0				
4. जामई (तामिया)	2.0				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	4.2				
9. बिछुआ	22.2				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	81.4				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, सन, चना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला गुना, सिंगरौली, बड़वानी, राजगढ़, हरदा, कटनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(441)